उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग-1

संख्या-92/2015/सं0वि0क0नि0-1-1630डी /11-2015-400टी(6)/2015

लखनऊः दिनांकः 31 अगस्त, 2015

<u>विज्ञप्ति/स्थानान्तरण निरस्तीकरण</u>

श्री सूरज पाल, असिस्टेंट कमिश्नर, खण्ड-2, शामली का शासन की विज्ञप्ति सं0-सं0वि0क0नि0-1-1424आई11-2015-400टी(7)/2015, दिनॉक 07-08-2015 द्वारा असिस्टेंट कमिश्नर, (स0द0)-2, सहारनपुर के पद पर किया गया स्थानान्तरण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से

हरेन्द्र वीर सिंह
विशष सचिव।

<u>संख्या-92/2015/सं0वि0क0नि0-1- 1630डी (1)/11-2015, तद् दिनांक,</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
2- महालेखाकार (लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- संबंधित अधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।